आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–19 / 2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री शिव प्रकाश, ग्राम+पंचायत–भेंडरा, प्रखण्ड–नावाडीह, जिला–बोकारो Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो अनुपस्थित। आयोग के निर्देश के बावजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। आयोग के विशेष आग्रह पर शिकायतकर्ता ने अगली सुनवाई में आयोग में उपस्थित होने पर अपनी सहमति दी है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को निर्देश देता है कि इस वाद से सम्बन्धित सभी अभिलेखों के साथ अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थ्ति हों, ताकि शिकायतकर्ता एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त आयोग समुचित आदेश पारित कर सके। अगली सुनवाई में यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, तो आयोग उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx111	